

19.2.24

जकील अपाधिकार एवं पैसेका निरका अपाधिकार
तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई
जो शामिल फायदगी की गई। तहसीलदार
धौलपुर की रिपोर्ट से अवगत कराया
गया कि राजसव ग्राम महुमरपुर का
आराजी खसरा नम्बर 664/2 अकका
17 बीघा 3 किल्ला (4.3372 हेक्टर)

न्यायांतरण संख्या 2034 दिनांक
21.6.2018 से नगर परिषद धौलपुर
के नाम दर्ज हुआ है।

वकील अपार्थी ने कुचान किया
कि उक्त विपरीत आशय पर 90A
की कार्यवाही हो चुकी है तथा गैर
मुअकिन आवाही दर्ज हो चुकी है।
और भूमि कृषि योग्य नहीं रही है।
उक्त भूमि पर 177 की कार्यवाही
किया जाना सम्भवित नहीं है।
पार्षता पर खारिज किया जाने का
निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने बताया कि
विपरीत आशय वाला न से नगर परिषद
धौलपुर के नाम है और गैर मुअकिन
आवाही दर्ज है। और पार्षता पर खारिज
किया जाने के उद्देश्य कोई आपात
नहीं है।

पार्षता का अवलोकन किया उक्त
वकालत का नगन किया। तहसील धौलपुर
की रिपोर्ट के आधार पर विपरीत आशय
खसरा नम्बर 664/2 रकबा 17 बीघा
3 किलो (4.3372 हेक्टर) वाकें नाम
महमद अल तहसील व जिला धौलपुर
गैर मुअकिन आवाही दर्ज है और नगर परिषद
धौलपुर के नाम दर्ज है। और जब
भूमि के सख्त खसरे द्वारा 90A की
कार्यवाही हो चुकी है। तो भूमि कृषि योग्य
नहीं रही है। और ऐसी भूमि पर खारिज
177 RSM की कार्यवाही किया जाना उचित

पत्नी नहीं लेता है

आज आदेश है कि प्रायोजक पर
प्रायोजक द्वारा 177 RTI खारिज किया
जाता है। प्रजापति के लक्ष्य में
दोक्ट वरुण जाफरा शरिफ दफ्तर
वा

सप्रेम अधिकारी

धौलपुर (राज०)